राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प0 27(21)चिस्वा/2/2016 जयपुर दिनांक 14.06.2016

M/s Thermo Fisher India Pvt. Ltd., A-34 , Ground Floor , Sector - 2 , Noida.

अपीलान्ट

बनाम

कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर।

रेस्पोडेंट

1479
15/6/16
जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 38 **RTPP Act** 2012

Seniormanager Pu.
/ M-1

<u>निर्णय दिनांक 14.06.2016</u>

अपीलान्ट फर्म M/s Thermo Fisher India Pvt. Ltd., A-34 , Ground Floor , Sector - 2 , Noida की ओर से अधिवक्ता श्रीमती सुरूचि सोनी एवं अन्य प्रतिनिधि उपस्थित हुये तथा आरएमएससी की तरफ से कार्यकारी निदेशक (ईपीएम) उपस्थित हुये।

1. संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि आरएमएससीएल द्वारा निविदा सूचना संख्या 117 दिनांक 28.09.15 जारी कर विभिन्न चिकित्सकीय उपकरणों की निविदाए आमन्त्रित की गई। निविदाओ की तकनीकी बिड दिनांक 08.01.16 को खोली गई। उक्त निविदा अन्तर्गत आईटम Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags के लिये अपीलान्ट फर्म M/s Thermo Fisher India Pvt. Ltd., A-34 , Ground Floor , Sector - 2 , Noida , M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai एवं अन्य दो फर्मो ने भाग लिया। आरएमएससीएल ने तकनीकी बिड के मूल्यांकन उपरान्त वित्तीय बिड खोले जाने बाबत List of Responsive/Non-Responsive Bidders का आदेश क्रमांक 2016 दिनांक 26.04.16 जारी किया । जिसमें अपीलान्ट फर्म के साथ फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai को Responsive Declare किया गया। अपीलान्ट फर्म ने आदेश क्रमांक 2016 दिनांक 26.04.16 में अन्य Responsive फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai को अनुचित Responsive किये जाने से व्यथित होकर हस्तगत प्रथम अपील RTPP Act 2012 की धारा 38(1) प्रस्तुत की।

2. अपील सुनवाई दिनांक 09.06.2016 को की गई। अपीलान्ट फर्म ने अपील मे संलग्न दस्तावेजो की सत्यता बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

3. दोनो पक्षकारो की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी ने मुख्यतः अपील मे उल्लेखित तथ्यो को ही दोहराया एवं सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किये। प्रमुख रूप से तर्क यह रहा कि निविदा के उक्त आईटम Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags के लिये रेस्पोन्डेन्ट संस्था ने दस्तावेजो के मान्य नही होने की स्थिति में तथा कोटेड मॉडल तकनिकी मापदण्डो की पूर्ति के अभाव में भी अन्य फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai को Responsive करार दिया गया है। फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai द्वारा निविदा के तकनीकी स्पेसिफिकेशनो एवं तकनीकी मापदण्डो की पूर्ति नही किये जाने के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा कोई साक्ष्य/दस्तावेज विशेष उपलब्ध नही कराया। रेस्पोन्डेन्ट ने तकनीकी समिति की उपस्थिति में फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai द्वारा कोटेड आईटम का पूर्ण मूल्यांकन किया जाना एवं डेमो लिया जाकर ही वित्तीय बिड खोले जाने के लिये उपयुक्तता की रिपोर्ट दी। अपीलान्ट फर्म ने मुख्य रूप से फर्म के द्वारा प्रस्तुत CE Certificate को दस्तावेज जारीकर्ता द्वारा दिनांक 19.01.16 को Withdraw किये जाने के आधार पर Non-Responsive किये जाने का निवेदन किया। इस दस्तावेज के सम्बन्ध में रेस्पोन्डेन्ट ने अवगत कराया कि दस्तावेज CE Certificate के दिनांक 19.01.2016 को Withdraw की सूचना राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, को, आदेश जारी दिनांक 26.04.16 तक किसी भी पक्षकार से प्राप्त नही थी और फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया सर्टिफिकेट दिनांक 15.05.2016 तक वैध था, अतः फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai को आईटम Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags के लिये Responsive किया गया। अपीलान्ट फर्म ने भी रेस्पोन्डेन्ट को CE Certificate के दिनांक 19.01.2016 को Withdraw की सूचना, रेस्पोन्डेन्ट के आदेश जारी दिनांक 26.04.2016 के बाद ही दी है।

4. निगम ने निविदा में तकनीकी स्पेसिफिकेशनो मे Certificate - Should be compliant with European CE with notified body number or US FDA (Valid documentation should be submitted in technical bid). की पात्रता का मापदण्ड रखा है। अतः निविदादाता फर्मो को आईटम के लिये European CE with notified body number or US FDA का विकल्प प्राप्त था। अपीलान्ट की अपील से सम्बन्धित अन्य फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने निविदाओ की तकनीकी बिड खोले जाने की दिनांक 08.01.16 को जो CE Certificate प्रस्तुत किया है, वह निविदा खोले जाने की दिनांक को तो वैध था परन्तु, निविदा मूल्यांकन की अवधि मे सम्बन्धित जारीकर्ता द्वारा दिनांक 19.01.16 को Withdraw किया गया है। जिसकी सूचना निगम को आदेश दिनांक 26.04.16 के पश्चात ही प्राप्त हुई है। इसी क्रम में फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने इसी निविदा के आईटमो के लिये दिनांक 28.03.16 को रेस्पोन्डेन्ट को USFDA Registration के दस्तावेज प्रस्तुत किये है। जिनको कि रेस्पोन्डेन्ट ने आदेश जारी दिनांक तक उपयुक्त नही मानते हुये फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai को अन्य आईटम Blood Collection Monitor के लिये Non-Responsive किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट ने यह भी अवगत कराया है कि दिनांक 15.05.2016 को फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai को US FDA Registration Number प्राप्त हो गया है तथा वित्तीय बिड खोला जाना वर्तमान में स्थगित हैं।

5. अपील के तथ्यों पर गौर किया गया। बहस के दौरान दोनो पक्षों द्वारा दलिलों पर मनन किया गया। अपीलार्थी की यह दलील पूर्णतया स्पष्ट है कि दिनांक 19.01.2016 M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai की CE Certificate की मान्यता समाप्त हो गई थी । जिसे निगम ने स्वीकार किया हैं। M/s Remi Elektrotechnik Ltd. द्वारा निगम को इस संबंध में जानकारी दी जानी थी, जो उन्होने नही दी गई, बल्कि उनके द्वारां दिनांक 28.03.2016 को US FDA के लिए आवेदन कर दिया गया जो इस प्रकरण में कोई माईने नही रखता है । जिस दिन निगम द्वारा Responsive/Non-Responsive सूची घोषित की गई, उस दिन M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai का कोई Locus Standi नही था और उस दिन उनके पास मान्य प्रमाण पत्र मोजूद नही था। ऐसे में M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai द्वारा तथ्यों को निगम से छुपाया गया, जबकि एग्रीमेन्ट की शर्त दोनो पक्षो पर सही तथ्य की जिम्मेदारी डालती है। इस प्रकरण में निगम को उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रश्नगत आईटम के प्रोक्यूरमेंट में M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai के द्वारा Non-Disclosure को गम्भीरता से लेते हुए Responsive/Non-Responsive के संबंध में समुचित निर्णय लेना चाहिए। निर्णय के 10 दिवस के भीतर निविदा के तकनिकी मापदण्डों के अनुसार दस्तावेजों की निर्धारित तिथी को उपयुक्ता के आधार पर निर्णित किया जावे।

आदेश

उपरोक्त कारण से अपीलार्थी की अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारों को अवगत कराया जावें। आदेश की प्रति पक्षकारान को निशुल्क उपलब्ध कराई जावे एवं राज्य उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जावें। पत्रावली निर्णय मे सम्मिलित की जाकर कार्यालय में नियमानुसार संधारित की जाती है। 10 दिवस में निगम से पालना रिपोर्ट प्राप्त कर पत्रावली फैसल शुमार की जावे।

अपीलीय अधिकारी एवं
विशिष्ठ शासन सचिव